

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE

अंधेरी (पूर्व), मुंबई
ANDHERI (EAST), MUMBAI.

कार्यसूची के लिए
AGENDA FOR

मेसर्स माइंडस्पेस बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के आईटी/आईटीईएस के लिए सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की बैठक।

MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR SECTOR SPECIFIC SPECIAL ECONOMIC ZONE FOR IT/ITES OF M/s. MINDSPACE BUSINESS PARKS PRIVATE LIMITED.

स्थल : सम्मेलन कक्ष, दूसरी मंजिल, विकास आयुक्त का कार्यालय, सीपज़-सेज़,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई।

VENUE : Conference Hall, 2nd Floor, The Office of the Development
Commissioner, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai.

दिनांक : सोमवार, 29 अप्रैल, 2024

DATE : Monday, 29th April, 2024

समय : प्रातः 11:30 बजे

TIME : 11:30 A.M.

सोमवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2024 को विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में मेसर्स माइंडस्पेस बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड -सेज़ के आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की बैठक।

Meeting of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES of M/s. Mindspace Business Parks Private Limited - SEZ under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ on Monday, 29th April, 2024.

सूचकांक / INDEX

कार्यसूची मद सं. Agenda Item No.	विषय Subject
कार्यसूची मद सं. 01 Agenda Item No. 01 : -	27.03.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। Confirmation of minutes of the meeting held on 27.03.2024.
कार्यसूची मद सं. 02 Agenda Item No. 02 : -	दिनांक 11 जून 2019 के निर्देश संख्या 95 के अनुसार माइंडस्पेस-एसईजेड में स्थित उनकी एसईजेड इकाई के भीतर व्यायामशाला और मनोरंजन कक्ष की स्थापना के लिए स्वीकृति - मेसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। Approval for set-up of Gymnasium and Recreation Room within their SEZ unit located at Mindspace-SEZ as per Instruction no. 95 dated 11th June 2019 - <u>M/s. Accenture Solutions Private Limited.</u>
कार्यसूची मद सं. 03 Agenda Item No. 03 : -	दिनांक 11 जून 2019 के निर्देश संख्या 95 के अनुसार माइंडस्पेस-एसईजेड में स्थित उनकी एसईजेड इकाई के भीतर कैफेटेरिया की स्थापना के लिए स्वीकृति - मेसर्स आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। Approval for setting up of Cafeteria within their SEZ unit located at Mindspace-SEZ as per Instruction no. 95 dated 11 th June 2019 - <u>M/s. IBM India Pvt. Ltd</u>

मैसर्स माइंडस्पेस बिजनेस पार्क प्रा. लिमिटेड - सेज़, ऐरोली, नवी मुंबई, के सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की 124 वीं बैठक का कार्यवृत्त विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में 27.03.2024 को द्वितीय तल सीपज़ सेवा केंद्र, सीपज़-सेज़, मुंबई में आयोजित किया गया।

Minutes of 124th Meeting of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone of M/s. Mindspace Business Parks Pvt. Ltd. - SEZ, Airoli, Navi Mumbai, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on 27.03.2024, at Second Floor SEEPZ Service Centre, SEEPZ SEZ, Mumbai.

1. सेज़ का नाम : मैसर्स माइंडस्पेस बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड
Name of the SEZ : M/s. Mindspace Business Parks Pvt. Ltd.
2. सेक्टर : आईटी/आईटीईएस
Sector : IT/ITES
3. मीटिंग नंबर : 124 वां
Meeting no : 124th
4. दिनांक : 27.03.2024
Date : 27.03.2024

उपस्थित सदस्य :

क्रमांक Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्री सीपीएस चौहान Shri. C. P. S. Chauhan	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner,	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ.
2	श्री लीडर पणिक्कर Shri. Leider Panicker	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai.
3	श्री हिमांशु धार पांडे Shri. Himanshu Dhar Pandey	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai.
4	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उपनिदेशक उद्योग Deputy Director Industries	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिती Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra.
5	श्रीमती सुनीता जगताप Smt. Sunita Jagtap	सीमा शुल्क अधीक्षक Superintendent Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar.

विशेष आमंत्रित सदस्य:-

श्री. आर के जैन : विनिर्दिष्ट अधिकारी, माइंडस्पेस -सेज़

Special Invitee:-

Shri. R.K. Jain :

15/4

Specified Officer
MindSpace -SEZ

श्री. हनीश राठी, एडीसी (न्यू सेज़), श्रीमती रेखा नायर, एडीसी (न्यू सेज़) और श्री. जी.एस. भंडारी, सहायक बैठक में सहायता और सुचारू संचालन के लिए भी शामिल हुए।

Shri. Hanish Rathi, ADC (New SEZ), Smt. Rekha Nair, ADC (New SEZ) and Shri. G.S.Bhandari, Assistant also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

कार्यसूची मद संख्या 01 : दिनांक 07.02.2024 को आयोजित 123 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 07.02.2024 को आयोजित 123 वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 123rd meeting held on 07.02.2024.

The Minutes of the 123rd Meeting held on 07.02.2024 were confirmed with consensus.

कार्यसूची मद संख्या 02 : मैसर्स ग्लोबऑप फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन और निदेशक मंडल में परिवर्तन के लिए अनुमोदन (एलओए-57)।

Agenda Item No. 02 : Approval for Change of Shareholding

यूनिट ने शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव और निदेशक मंडल में बदलाव के संबंध में अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है, विवरण इस प्रकार है:

Pattern and Change in Board of Directors of M/s. GlobeOp financial Services (India) Private Limited (LOA-57).

- शेयरधारिता में परिवर्तन का विवरण :

The Unit has requested for approval w.r.t. Change of Shareholding Pattern and Change of Board of Directors of the company and the details are as

2/17/24

under:

- Detail of Change in Shareholding

:

Sr. No.	Existing Shareholding Pattern Before Transfer of Shares				New Proposed Shareholding Pattern Before Transfer of Shares			
	Name of the Equity shareholders	No. of Shares	Value (Rs.)	%	Name of the Equity shareholders	No. of Shares	Value (Rs.)	%
1.	GlobeOp Holding Company (Mauritius) Private Limited	28,04,548	28,04,548	61.10 %	GlobeOp Holding Company (Mauritius) Private Limited	24,33,748	24,33,748	57.67 %
2.	SS&C Technologies Holding Europe S.A.R.L.	17,70,676	17,70,676	38.57 %	SS&C Technologies Holding Europe S.A.R.L.	17,70,676	17,70,676	41.96 %
3.	SS&C Financial Services Limited (Nominee of SS&C Technologies Holding Europe S.A.R.L.)	15,000	15,000	0.33 %	SS&C Financial Services Limited (Nominee of SS&C Technologies Holding Europe S.A.R.L.)	15,000	15,000	0.33%

- निदेशकों में परिवर्तन का विवरण:

- Detail of Change in Directors :

Sr. No.	Before change in the Directors as per new unit			After change in the Directors after transfer of Shares		
	Name of the Director	Designation	Appointment Date	Name of the Director	Designation	Appointment Date
1.	Gautam Lavji Thakkar	Director	03/04/2017	Gautam Lavji Thakkar	Director	03/04/2017
2.	Sunilkumar Unnikrishnan Nair	Director	26/03/2020	Sunilkumar Unnikrishnan Nair	Director	26/03/2020
3.	Patrick John Louis Pedonti	Director	11/10/2023	-	-	-

4.	-	-	-	Brian Norman Schell	Additional Director	08/12/2023
----	---	---	---	---------------------	---------------------	------------

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एमओसी एंड आई निर्देश संख्या 109 दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के संदर्भ में कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन और कंपनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन के मेसर्स ग्लोबऑप फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एलओए-57) के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।

Decision:- After the deliberation, the Committee approved the proposal of M/s. GlobeOp financial Services (India) Private Limited (LOA-57) for approval w.r.t. Change of Shareholding Pattern and Change of Board of Directors of the company, in terms of MOC&I Instruction No. 109 dated 18th October, 2021.

इसके अलावा, समिति ने यूनिट को निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया:

Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021:

1. परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.

2. परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।

2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its

3. सभी राजस्व/कंपनी मामलों/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, स्थानांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

1. Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction No. 109 dated 18th October, 2021.

4. इक्विटी/विलय, डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।

Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021:

5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विलय, समामेलन, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आय की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा। कर अधिनियम, 1961.

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.

6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।

2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its

7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और इकाई के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.

2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.

2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.

2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.

2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its

Signature

constituents.

3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.

4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.

5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.

6. The applicant

2
15/4

shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.

7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.

अनुपूरक कार्यसूची मद संख्या 01 : मैसर्स ग्लोबऑप फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन और निदेशक मंडल में परिवर्तन के लिए अनुमोदन (एलओए-02)।

Supplementary Agenda Item No. 01
Approval for Change of Shareholding Pattern and Change in Board of Directors of M/s. GlobeOp financial Services (India) Private Limited (LOA-02).

यूनिट ने शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव और निदेशक मंडल में बदलाव के संबंध में अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है, विवरण इस प्रकार है:

- शेयरधारिता में परिवर्तन का विवरण :

The Unit has requested for approval w.r.t. Change of Shareholding Pattern and Change of Board of Directors of the company and the details are as under:

- Detail of Change in Shareholding

Sr.	Existing Shareholding Pattern Before	New Proposed Shareholding Pattern
-----	--------------------------------------	-----------------------------------

15/4

No.	Transfer of Shares				Before Transfer of Shares			
	Name of the Equity shareholders	No. of Shares	Value (Rs.)	%	Name of the Equity shareholders	No. of Shares	Value (Rs.)	%
1.	GlobeOp Holding Company (Mauritius) Private Limited	28,04,548	28,04,548	61.10 %	GlobeOp Holding Company (Mauritius) Private Limited	24,33,748	24,33,748	57.67 %
2.	SS&C Technologies Holding Europe S.A.R.L.	17,70,676	17,70,676	38.57 %	SS&C Technologies Holding Europe S.A.R.L.	17,70,676	17,70,676	41.96 %
3.	SS&C Financial Services Limited (Nominee of SS&C Technologies Holding Europe S.A.R.L.)	15,000	15,000	0.33 %	SS&C Financial Services Limited (Nominee of SS&C Technologies Holding Europe S.A.R.L.)	15,000	15,000	0.33%

• निदेशकों में परिवर्तन का विवरण:

• Detail of Change in Directors :

Sr. No.	Before change in the Directors as per new unit			After change in the Directors after transfer of Shares		
	Name of the Director	Designation	Appointment Date	Name of the Director	Designation	Appointment Date
1.	Nandini Sankar	Director	25/04/2017	-	-	-
2.	Hans Hufsehmid	Director	09/08/2012	-	-	-
3.	Vernon Barback	Director	10/08/2012	-	-	-
4.	Ira Rosenblum	Director	21/09/2012	-	-	-
5.	-	-	-	Gautam Lavji Thakkar	Director	03/04/2017
6.	-	-	-	Sunilkumar Unnikrishnan Nair	Director	26/03/2020
7.	-	-	-	Brian Norman Schell	Additional Director	08/12/2023

1574

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एमओसी एंड आई निर्देश संख्या 109 दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के संदर्भ में कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन और कंपनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन के मेसर्स ग्लोबऑप फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एलओए-02) के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।

इसके अलावा, समिति ने यूनिट को निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया:

1. परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
2. परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।
3. सभी राजस्व/कंपनी मामलों/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, स्थानांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

4. इक्विटी/विलय, डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।

5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विलय, समामेलन, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आय की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा। कर अधिनियम, 1961।

6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।

7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और इकाई के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

Decision:- After the deliberation, the Committee approved the proposal of M/s. GlobeOp financial Services (India) Private Limited (LOA-02) for approval w.r.t. Change of Shareholding Pattern and Change of Board of Directors of the company, in terms of MOC&I Instruction No. 109 dated 18th October, 2021.

Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021:

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.

2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.

3. Applicability of

10/14

and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.

4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.

5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.

6. The applicant shall comply with relevant State Government laws,


15/11

including those relating to lease of land, as applicable.

7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.

The meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


15.04.24

(राजेश कुमार मिश्रा , आईआरएस)
अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़

दिनांक 27.03.2024 को आयोजित यूएसी बैठक के लिए की गई कार्रवाई
Action taken for the UAC Meeting held on 27.03.2024

सेज़ का नाम / Name of SEZ	इकाई का नाम / Name of Unit	विषय / Subject	की गई कार्रवाई / Action Taken
Mindspace - SEZ	M/s. GlobeOp Financial Services (India) Pvt. Ltd. (LOA- 57)	Approval for Change of Shareholding Pattern and Change in Board of Directors	Approval letter issued to unit on 29.04.2024
	M/s. GlobeOp Financial Services (India) Pvt. Ltd. (LOA- 02)	Approval for Change of Shareholding Pattern and Change in Board of Directors	Approval letter issued to unit on 29.04.2024

भारत सरकार,
विकास आयुक्त कार्यालय,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
सीपज़ (विशेष आर्थिक क्षेत्र), मुंबई

अनुमोदन समिति के विचार हेतु एजेंडा नोट

a. प्रस्ताव: -

मेसर्स एक्सेचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश संख्या के अनुसार माइंडस्पेस -एसईजेड में स्थित अपनी एसईजेड इकाई के भीतर जिम्नेजियम और मनोरंजन कक्ष की स्थापना के लिए। 95 दिनांक 11 जून 2019 का आवेदन।

b. विशिष्ट मुद्दे जिस पर अनुमोदन समिति का निर्णय आवश्यक है:-

एक अनुमोदन लेख निर्देश संख्या 95 दिनांक 11 जून 2019 के अनुसार माइंडस्पेस -एसईजेड स्थित उनकी एसईजेड इकाई के भीतर व्यायामशाला और मनोरंजन कक्ष स्थापित करने की अनुमति। इस प्रकार है:

क्रमांक	सुविधा	कैफेटेरिया फर्श	विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग फुट)
1	भवन 12	दूसरा कार्यालय तल	व्यायामशाला	1525
		दूसरा कार्यालय तल	मनोरंजन	1291

c. प्रासंगिक नियम एवं निर्देश:-

एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11 (5) में कहा गया है कि - "डेवलपर, अनुमोदन समिति की पूर्व मंजूरी के साथ, कैंटीन, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ जैसी सुविधाएं बनाने के लिए पट्टे की भूमि या निर्मित स्थान पर अनुदान दे सकता है।" सहायता केंद्र, क्रेच और ऐसी अन्य सुविधाएं जो इकाई के उपयोग के लिए आवश्यक हो सकती हैं "

MOC&I का बाद में स्पष्टीकरण दिनांक 04.10.2023 निर्धारित करता है कि एसईजेड नियम 2006 के उक्त नियम 11 (5) को निर्देश संख्या के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाए। 50 दिनांक, 15.03.2010, ज़ोन की सभी इकाइयों के उपयोग के लिए डेवलपर/सह-डेवलपर द्वारा विकसित सुविधा प्रदान करता है। यह केवल किसी विशेष इकाई के लिए सुविधा के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है जो ऐसी सुविधाओं को अव्यवहार्य बना देगा।

MoC&I निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019, आइटम संख्या 3 (ए) जो निर्धारित करता है कि - "एसईजेड नियमों के नियम 11(5) के प्रावधानों के तहत परिकल्पित सुविधाएं एक इकाई द्वारा अपने विशेष उपयोग के लिए भी बनाई जा सकती हैं, जो डेवलपर से एनओसी के साथ-साथ संबंधित वैधानिक से आवश्यक एनओसी / मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन है। अधिकारी।

d. अन्य सूचना:-

1.	अनुमोदन पत्र संख्या और तारीख	एसईजेड/सेरेन-ठाणे /(20)/एलओए-20/2010-11/(38)/3706 दिनांक 04.08.2010 (मूल एलओए) यथा संशोधित।
2.	विनिर्माण/सेवाओं की वस्तुएँ	सॉफ्टवेयर विकास और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ।
3.	वर्तमान स्थान	01 वीं से 08 वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 02, 10 और 12, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क प्राइवेट। लिमिटेड - एसईजेड, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई - 400 708।
4.	उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि	06.01.2011
5.	एलओए तक वैध	05.01.2026
6.	इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़/विवरण wrt . व्यायामशाला एवं मनोरंजन क्षेत्र .	a. डेवलपर से अनापत्ति (एनओसी);

• इकाई ने निम्नानुसार बताया है:

- वे एक आईटी/आईटीईएस कंपनी हैं जो अलग-अलग समय क्षेत्रों के साथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले अपने विविध ग्राहकों का समर्थन करने के लिए 24x7 संचालन करती है। 24/7 संचालन को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की भलाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिसर के भीतर व्यायामशाला और मनोरंजन क्षेत्र का होना आवश्यक है।
- तदनुसार, उनके परिसर के भीतर का क्षेत्र नीचे दी गई तालिका के अनुसार व्यायामशाला और मनोरंजन क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है:

क्रमांक।	सुविधा	कैफेटेरिया फर्श	विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग फुट)
1	भवन 12	दूसरा कार्यालय तल	व्यायामशाला	1525
		दूसरा कार्यालय तल	मनोरंजन	1291

- यूनिट ने यह भी कहा कि एक्सेंचर जिमनैजियम और मनोरंजन क्षेत्र के लिए आवश्यक सामग्री और/या सेवाओं पर किसी भी कर या शुल्क छूट का लाभ नहीं उठाएगा।
- विनिर्दिष्ट अधिकारी, माइंडस्पेस -एसईजेड से जिमनेजियम और मनोरंजन क्षेत्र के फ्लोर प्लान लेआउट के साथ परिसर का निरीक्षण करने और विधिवत निर्धारित रिपोर्ट और प्लान लेआउट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

e. एडीसी की सिफ़ारिश:-

मेसर्स एक्सेचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने निर्देश संख्या 95 दिनांक 11 जून 2019 के संदर्भ में माइंडस्पेस -एसईजेड में स्थित अपनी एसईजेड इकाई के भीतर जिम्मेजियम का प्रस्ताव और मनोरंजन कक्ष स्थापित करने के लिए , निर्दिष्ट अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के अधीन विचार के लिए अनुमोदन समिति को प्रस्तुत किया है।

**GOVERNMENT OF INDIA,
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
SEEPZ (SPECIAL ECONOMIC ZONE)
MUMBAI**

AGENDA NOTE FOR CONSIDERATION OF APPROVAL COMMITTEE

a. Proposal: -

Application of M/s. Accenture Solutions Private Limited for set-up of Gymnasium and Recreation Room within their SEZ unit located at Mindspace-SEZ as per Instruction no. 95 dated 11th June 2019.

b. Specific Issue on which decision of Approval Committee is required: -

Approval w.r.t. permission to set-up Gymnasium and Recreation Room within their SEZ unit located at Mindspace-SEZ as per Instruction no. 95 dated 11th June 2019 is as under:

Sr. No.	Facility	Cafeteria Floor	Detail	Area (Sq. Ft)
1	Building 12	2 nd office floor	Gymnasium	1525
		2 nd office floor	Recreation	1291

c. Relevant Rule and Instruction:-

Rule 11 (5) of the SEZ Rules, 2006 which stipulates that – “The Developer may, with the prior approval of the Approval Committee, grant on lease land or built up space, for creating facilities such as canteen, public telephone booths, first aid centres, crèche and such other facilities as may be required use of the unit ”

Subsequent clarification of MOC&I dt. 04.10.2023 stipulates that the said Rule 11 (5) of SEZ Rules 2006 read harmoniously with Instructions no. 50 dt., 15.03.2010, provides the facility developed by Developer/Co-Developer for use of all Units of the Zone. It does not restrict use of facility for any particular unit only which would render such facilities unviable.

MoC&I Instruction No. 95 dated 11.06.2019, item No. 3 (a) which stipulates that – “The facilities as envisaged under the proviso to Rule 11(5) of the SEZ Rules could also be created by a unit for its exclusive use subject to obtaining a NOC from the Developer as well as necessary NOCs / clearances / approvals from the relevant statutory authorities.

d. Other Information:-

1.	Letter of Approval No. and Date	SEZ/SERENE-THANE/(20)/LOA-20/2010-11/(38)/3706 Dated 04.08.2010 (Original LOA) as amended.
----	---------------------------------	--

2.	Item(s) of manufacture/services	Software Development and Information Technology Enabled Services.
3.	Present location	01 st to 08 th Floor, Building No. 02, 10 and 12, Mindspace Business Parks Pvt. Ltd. – SEZ, Thane Belapur Road, Airoli, Navi Mumbai – 400 708.
4.	Date of commencement of production	06.01.2011
5.	LOA Valid upto	05.01.2026
6.	Documents/details submitted by the unit w.r.t. Gymnasium and Recreation Area.	b. No Objection (NOC) from Developer;

- The unit has stated as under:

3. They are an IT/ITES company with 24x7 operations to support their diversified clients spread across different geographies with varying time zones. Considering 24/7 operation it is essential to have Gymnasium and Recreation Area within the premises to cater to the needs of their employees well-being.
4. Accordingly, the area within their premises are earmarked for Gymnasium and Recreation Area as per below table :

Sr. No.	Facility	Cafeteria Floor	Detail	Area (Sq. Ft)
1	Building 12	2 nd office floor	Gymnasium	1525
		2 nd office floor	Recreation	1291

4. The unit also stated that Accenture will not availing any tax or duty exemptions on material and/or services required for Gymnasium and Recreation Area.
- The Specified Officer, Mindspace-SEZ has been requested to inspect the premises alongwith the floor plan layout of Gymnasium and Recreation Area and furnish the report and the plan layout duly earmarked.

e. ADC Recommendation:-

The proposal of M/s. Accenture Solutions Private Limited for setting up Gymnasium and Recreation Room within their SEZ unit located at Mindspace-SEZ in terms of Instruction no.95 dated 11th June 2019, subject to inspection report of the Specified Officer is submitted to the Approval Committee for consideration.

भारत सरकार,
विकास आयुक्त कार्यालय,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
सीप्ल (विशेष आर्थिक क्षेत्र), मुंबई

अनुमोदन समिति के विचारार्थ एजेंडा नोट

a. प्रस्ताव: -

मेसर्स आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन, 11 जून 2019 के निर्देश संख्या 95 के अनुसार माइंडस्पेस-एसईजेड स्थित अपनी एसईजेड इकाई के भीतर कैफेटेरिया स्थापित करने के लिए।

b. विशिष्ट मुद्दे जिन पर अनुमोदन समिति का निर्णय अपेक्षित है:

निर्देश संख्या के अनुसार माइंडस्पेस -एसईजेड स्थित उनकी एसईजेड इकाई के भीतर कैफेटेरिया की स्थापना के लिए मंजूरी। 95 दिनांक 11 जून 2019 इस प्रकार है:

क्रमांक।	सुविधा	कैफेटेरिया फर्श	विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग फुट)
1	भवन 5	छठा कार्यालय तल	काफ्रीहाउस	2900

c. प्रासंगिक नियम एवं निर्देश:-

एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11 (5) में कहा गया है कि - "डेवलपर, अनुमोदन समिति की पूर्व मंजूरी के साथ, कैंटीन, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ जैसी सुविधाएं बनाने के लिए पट्टे की भूमि या निर्मित स्थान पर अनुदान दे सकता है।" सहायता केंद्र, क्रेच और ऐसी अन्य सुविधाएं जो इकाई के उपयोग के लिए आवश्यक हो सकती हैं"

MOC&I का बाद में स्पष्टीकरण दिनांक 04.10.2023 निर्धारित करता है कि एसईजेड नियम 2006 के उक्त नियम 11 (5) को निर्देश संख्या के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाए। 50 दिनांक, 15.03.2010, ज़ोन की सभी इकाइयों के उपयोग के लिए डेवलपर/सह-डेवलपर द्वारा विकसित सुविधा प्रदान करता है। यह केवल किसी विशेष इकाई के लिए सुविधा के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है जो ऐसी सुविधाओं को अव्यवहार्य बना देगा।

MoC&I निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019, आइटम संख्या 3 (ए) जो निर्धारित करता है कि - "एसईजेड नियमों के नियम 11(5) के प्रावधानों के तहत परिकल्पित सुविधाएं एक इकाई द्वारा अपने विशेष उपयोग के लिए भी बनाई जा सकती हैं, जो डेवलपर से एनओसी के साथ-साथ आवश्यक एनओसी / मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन है। प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकारी।

d. अन्य सूचना:-

1.	अनुमोदन पत्र संख्या और तारीख	सीपज़-सेज़/न्यू-सेज़/शांत-ठाणे/32/2011-12/16554 दिनांक: 03.11.2011. सीपज़-सेज़/न्यू-सेज़/शांत-ठाणे/32/2011-12/खंड-2/11993 दिनांक: 21.07.2022. (एलओए का नवीनीकरण)
2.	विनिर्माण/सेवाओं की वस्तुएँ	सॉफ्टवेयर विकास सेवाएँ - आईटी आईटीईएस ।
3.	वर्तमान स्थान	01 वीं से 08 वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 02, 10 और 12, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड - एसईजेड, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई - 400 708।
4.	उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि	01.04.2012
5.	एलओए तक वैध	31.03.2027
6.	इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़/विवरण wrt कैफेटेरिया क्षेत्र.	a. डेवलपर द्वारा जारी एनओसी की प्रति; b. कैफेटेरिया स्थान के साथ फ्लोर प्लान की प्रति अंकित; c. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा जारी फायर एनओसी; d. संदर्भ के लिए उनके कैंटीन विक्रेता के लिए समझौते की प्रति। e. ईटगुड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एफएसएसआई लाइसेंस प्राप्त किया गया । लिमिटेड

- इकाई ने अपने आवेदन दिनांक 02.12.2022 और 20.12.2022 में निम्नानुसार कहा है:

- a) वे पुष्टि करते हैं कि वे यूनिट के परिसर के भीतर कैंटीन/कैफेटेरिया के कैफेटेरिया के लिए एसईजेड अधिनियम की धारा 7 या धारा 26 के तहत किसी भी छूट, कमी, रियायतें या किसी अन्य लाभ का लाभ नहीं उठाएंगे।
- b) उन्होंने घोषणा की कि 3400 वर्ग फुट की उपस्थिति के कारण निर्यात अनुमानों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर कैफेटेरिया।
- c) आईबीएम कैफेटेरिया में सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विक्रेता को नियुक्त किया है, जो वर्तमान में मेसर्स ईटगुड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है।
- d) कैफेटेरिया में कोई लाइव कुकिंग गतिविधि नहीं की जाएगी। केवल माइक्रोवेव/इलेक्ट्रिकल हीटिंग उपकरण का उपयोग किया जाएगा।
- e) वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके कैंटीन विक्रेता ने कोई कर छूट नहीं ली है या नहीं लेगा।
- f) उन्होंने यह भी पुष्टि की कि वे केवल अपने कर्मचारियों को भोजन परोसने के लिए विक्रेता को स्थान उपलब्ध करा रहे हैं तथा वे अपने विक्रेता से कोई किराया नहीं लेंगे।

इसके अलावा, इकाई ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

निर्दिष्ट अधिकारी से दिनांक संचार द्वारा अनुरोध किया गया था। 30.12.2022 को स्थान का निरीक्षण करने और प्रस्तावित अनुरोध के लिए विधिवत क्षेत्र निर्धारित करने के लिए। निर्दिष्ट अधिकारी ने अपने निरीक्षण पत्र दिनांक 05.04.2024 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं-

- फ्लोर प्लान पर कैंटीन के लिए निर्धारित क्षेत्र यानी 2900 वर्ग फुट। इकाई द्वारा घोषित अनुसार पाया गया है।
- वी) के लिए डिविजनल फायर ऑफिस एमआईडीसी से दिनांक 12.03.2024 को एक अलग अनंतिम एनओसी प्राप्त हुई है कार्यालय स्तर, बिल्डिंग नंबर 5 और 6) प्लॉट नंबर पर। 03, एमआईडीसी टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई, कैफेटेरिया के लिए उपयोग।
- यूनिट में कैंटीन के अलावा अन्य कोई सुविधा नहीं है।
- यूनिट ने यह साबित करने वाले सहायक दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने कैंटीन स्थापित करते समय कोई लाभ नहीं उठाया है।
- यूनिट ने पुष्टि की कि उन्होंने भुगतान किए गए किराए पर आईजीएसटी लाभ प्राप्त किया है क्योंकि लीज समझौता पूरे परिसर के लिए किया गया था, न कि ऑन-प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए अलग से।

e. **एडीसी की सिफारिश:-**

मेसर्स आईबीएम इंडिया प्रा. लिमिटेड का प्रस्ताव को निर्देश संख्या 95 दिनांक 11 जून 2019 के अनुसार माइंडस्पेस -एसईजेड में स्थित अपनी एसईजेड इकाई के भीतर कैफेटेरिया की स्थापना के लिए अनुमोदन समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

**GOVERNMENT OF INDIA,
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
SEEPZ (SPECIAL ECONOMIC ZONE)
MUMBAI**

AGENDA NOTE FOR CONSIDERATION OF APPROVAL COMMITTEE

b. Proposal: -

Application of M/s. IBM India Pvt. Ltd for setting up of Cafeteria within their SEZ unit located at Mindspace-SEZ as per Instruction no. 95 dated 11th June 2019.

c. Specific Issue on which decision of Approval Committee is required:

Approval for setting up of Cafeteria within their SEZ unit located at Mindspace-SEZ as per Instruction no. 95 dated 11th June 2019 is as under:

Sr. No.	Facility	Cafeteria Floor	Detail	Area (Sq. Ft)
1	Building 5	6 th office floor	Cafeteria	2900

d. Relevant Rule and Instruction:-

Rule 11 (5) of the SEZ Rules, 2006 which stipulates that – *“The Developer may, with the prior approval of the Approval Committee, grant on lease land or built up space, for creating facilities such as canteen, public telephone booths, first aid centres, crèche and such other facilities as may be required use of the unit ”*

Subsequent clarification of MOC&I dt. 04.10.2023 stipulates that the said Rule 11 (5) of SEZ Rules 2006 read harmoniously with Instructions no. 50 dt., 15.03.2010, provides the facility developed by Developer/ Co-Developer for use of all Units of the Zone. It does not restrict use of facility for any particular unit only which would render such facilities unviable.

MoC&I Instruction No. 95 dated 11.06.2019, item No. 3 (a) which stipulates that – *“The facilities as envisaged under the proviso to Rule 11(5) of the SEZ Rules could also be created by a unit for its exclusive use subject to obtaining a NOC from the Developer as well as necessary NOCs / clearances / approvals from the relevant statutory authorities.*

f. Other Information:-

1.	Letter of Approval No. and Date	SEEPZ-SEZ/NEW-SEZ/SERENE-THANE/32/2011-12/16554 Dated: 03.11.2011. SEEPZ-SEZ/NEW-SEZ/SERENE-THANE/32/2011-12/VOL-II/11993 Dated: 21.07.2022. (Renewal of LOA)
2.	Item(s) of manufacture/services	Software Development services – IT ITES.
3.	Present location	01 st to 08 th Floor, Building No. 02, 10 and 12, Mindspace Business Parks Pvt. Ltd. – SEZ, Thane Belapur Road, Airoli, Navi Mumbai – 400 708.
4.	Date of commencement of production	01.04.2012
5.	LOA Valid upto	31.03.2027
6.	Documents/details submitted by the unit w.r.t. Cafeteria Area.	f. Copy of NOC issued by the Developer; g. Copy of Floor plan with cafeteria space marked; h. Fire NOC issued by Maharashtra Industrial Development Corporation; i. Copy of agreement for their canteen vendor for reference. j. FSSAI License obtained by Eatgood Technologies Pvt. Ltd

- The unit in its application dated 02.12.2022 & 20.12.2022 has stated as under:

- g) They confirm that they will not avail any exemptions, drawback, concessions or any other benefit under Section 7 or Section 26 of the SEZ Act for cafeteria of Canteen/Cafeteria within the premises of the unit.
- h) They declared that there would be no negative impact on the export projections, due to the presence of 3400 sq.ft. Cafeteria within the processing zone.
- i) They have engaged a vendor in providing the services, currently viz. M/s. Eatgood Technologies Pvt. Ltd., for providing services at the IBM cafeteria.
- j) There will be no live cooking activities performed in the Cafeteria. Only Microwave/electrical heating equipment are used.
- k) They confirm that their canteen vendor has not availed or will not avail any Tax exemption.
- l) They also confirm that they are only providing space to vendor to serve food to their employees and will not charge any rent to their vendor.

Further, the unit has submitted following documents:

Specified Officer was requested vide communication dt. 30.12.2022 to inspect the location and duly earmark the area for the proposed request. Specified Officer, in his inspection letter dt 05.04.2024 and made following observations–

- The earmarked area for canteen on the floor plan i.e. 2900 sq.ft. has been found as declared by the unit.
- Unit has received a separate Provisional NOC dated 12.03.2024 from the Divisional Fire Office MIDC for sub-letting area (Unit 601, 6th Office level, Bldg No. 5 & 6) on Plot no. 03, MIDC TTC Indl Area, Navi Mumbai, use for Cafeteria.
- There are no other facilities other than the canteen in the unit.
- Unit has also submitted supporting documents proving that they have not availed any benefit while setting up the canteen,
- The Unit conformed that they have availed IGST benefits on the rent paid as the lease agreement was made for the entire premises and not separately for the on-processing area.

g. ADC Recommendation:-

The proposal of M/s. IBM India Pvt. Ltd for setting up of Cafeteria within their SEZ unit located at Mindspace-SEZ in terms of Instruction no. 95 dated 11th June 2019 is submitted to the Approval Committee for consideration.